न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 51/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. पांचाराम पुत्र करनाराम जाति–जाट निवासी–ग्राम पालड़ी राणावता तहसील–भोपालगढ जिला जोधपुर		1. राजुराम पुत्र श्रीराम 2. श्रवणराम पुत्र तेजाराम 3. नारायणराम पुत्र तेजाराम 4. सुभाष पुत्र मेहराराम 5 शोभादेवी पत्नी मेहराराम 6. बाबुलाल पुत्र करनाराम सभी जातियान जाट निवासीगण ग्राम पालडी राणावतां तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर 7. तहसीलदार भोपालगढ जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बविरुद्ध म्यूटेशन संख्या 407 उप तहसीलदार, भोपालगढ द्वारा दिनांक 23.08.1981 को पारित किया।

उपस्थिति:– 1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भंवरलाल चौधरी उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्टस की ओर से अधिवक्ता श्री जुगलकिशोर पांगा उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 15.02.2019

अपीलान्ट पांचाराम पुत्र करनाराम जाति जाट निवासी ग्राम पालड़ी राणावता, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्टस राजुराम पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी ग्राम पालड़ी राणावता, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर वगैरह के विरूद्ध उप तहसीलदार, भोपालगढ द्वारा दिनांक 23.08.1981 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 407 ग्राम पालड़ी राणावता को निरस्त कराने हेतु पेश की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पालडी राणावतां तहसील बिलाडा वर्तमान तहसीलदार भोपालगढ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 798 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा खसरा नम्बर 800 रकबा 37 बीघा 18 बिस्वा खसरा नम्बर 532 रकबा 80 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 129 बीघा 08 बिस्वा अपीलान्ट के पिता करनाराम व

रेस्पोडेन्ट के पिता श्रीराम की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है, जिसमें श्रीराम एवं करनाराम का हिस्सा ½ - ½ बराबर है। उक्त भूमि भभूतराम की खातेदारी में दर्ज थी तथा उनके फौत होने पर श्रीराम व करनाराम की खातेदारी में दर्ज हुई। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 करनाराम के उत्तराधिकारी है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 श्रीराम के उतराधिकारी है। श्रीराम परिवार का मुखिया होने की वजह से परिवार के सभी लोग उस पर भरोसा करते थे तथा करनाराम अनपढ था एवं खेती का कार्य करता था, जिसका फायदा उठा कर अपीलान्ट के पिता करनाराम से उसके हिस्से की भूमि हडपने की नियत से फर्जी पारिवारिक बंटवाडा बनाकर उसके आधार पर म्यूटेशन संख्या 407 उप तहसीलदार भोपालगढ से स्वीकृत करवा लिया जिससे क्षुब्ध होकर उप तहसीलदार भोपालगढ द्वारा अपीलाधीन म्यूटेशन पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि करने, अपीलान्ट के पिता करणाराम का उक्त भूमि में ½ हिस्सा होने से कुल भूमि 129 बीघा 08 बिस्वा में 64 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर उनका हक होने पर भी अपीलाधीन म्यूटेशन में करनाराम के हिस्से में 48 बीघा 16 बिस्वा भूमि रखे जाने, स्व. करनाराम द्वारा अपने जीवनकाल में उप तहसीलदार, भोपालगढ के कार्यालय में कभी कोई पारिवारिक बंटवाडा नही करने पर भी अपीलाधीन म्यूटेशन पारिवारिक बंटवाड़ा के आधार पर पारित किया जाने, अपीलाधीन म्यूटेशन में पारिवारिक बंटवाडा दिनांक 25.02.1981 के आधार पर पटवारी द्वारा दिनांक 26.01.1981 को इन्द्राज करने एवं बाद में 25.02.1981 में कांट-छांट कर दिनांक 03.02.1981 को आर.आई द्वारा मिलान किया जाने पर उप तहसीलदार द्वारा दिनांक 23.08.1981 को म्यूटेशन स्वीकृत किया गया जो संदिग्ध होने, अपीलाधीन म्यूटेशन पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स के पिता करनाराम को पूर्ण सुनवाई का अवसर नही देकर उनके अनपढ होने का फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट के पिता स्व. श्रीराम द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने हिस्से में 80 बीघा 12 बिस्वा एवं करनाराम के हिस्से में 48 बीघा 16 बिस्वा भूमि का पारिवारिक बंटवाडा बताकर म्यूटेशन पारित करवा लेने, म्यूटेशन संख्या 407 के आधार पर जमाबन्दी में श्रीराम व करनाराम के खातेदारी की भूमि अलग-अलग होने पर एवं श्रीराम के फौत होने पर उनके वारिसों द्वारा म्यूटेशन संख्या 1197 के आधार पर बंटवाडा कर श्रीराम के वारिसो की खातेदारी में अलग-अलग दर्ज कर देने, अपीलांट को अपने पिता के देहान्त के बाद दिनांक 28.08.2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 अपीलान्ट की भूमि पर आने एवं अपीलान्ट के ½ हिस्से की भूमि में से रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा को अपनी बताकर कब्जा छोडने का कहने पर दिनांक 01.09.2016 को तहसील कार्यालय में पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर अपीलाधीन म्यूटेशन की जानकारी होने आदि आधारों पर अपील प्रस्तुत

कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर उपतहसीलदार भोपालगढ द्वारा दिनांक 23.08.1981 को स्वीकृत अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 407 व उसके बाद रेस्पोडेन्टस द्वारा किये गये बंटवाड़े के म्युटेशन संख्या 1197 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस की तलबी जरिये नोटिस की गई। तहसीलदार, भोपालगढ से मूल रेकर्ड भी तलब किया गया।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भंवरलाल चौधरी ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर उप तहसीलदार भोपालगढ द्वारा दिनांक 23.08.1981 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 407 व उसके बाद रेस्पोडेन्टस द्वारा किये गये बंटवाड़े के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1197 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्टस की ओर से अधिवक्ता श्री जुगलकिशोर पांगा द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जिसमें बताया गया कि अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 28.08.2016 को होना अंकित किया है जबकि श्री करनाराम का स्वर्गवास होने के पश्चात् जरिये नामान्तरकरण संख्या 1144 विरासत दिनांक 20.08.2006 के जरिये अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया। तत्पश्चात् वर्ष 2008 में अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि को रहन रखकर अपने नाम से बैंक से ऋण प्राप्त किया, जिसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में भी है। तत्पश्चात् अपीलान्ट द्वारा उक्त ऋण की अदायगी करने पर पुन: राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण अंकित किया गया तथा अपीलान्ट की बहनों द्वारा उक्त भूमि के बाबत एक हकतर्कनामा का दस्तावेज भी अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित किया गया, जिसका नामान्तरकरण संख्या 1298 दिनांक 04.01.2008 को भरा गया। इससे साफ जाहिर होता है कि अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी पूर्व से ही थी। इसके अलावा अपीलान्टस द्वारा कही पर विवादित नामान्तरकरण संख्या 401, कही पर 404 व 407 अंकित किया गया है तथा अंत में इस्तदुआ में नामान्तरकरण संख्या 407 को निरस्त करवाने का निवेदन किया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि वह किस नामान्तरकरण से व्यथित है। अपीलान्ट द्वारा अपनी बहनों भुआओं का नाम रेस्पोडेन्ट में नहीं लिखा गया है जिससे बदनियतिपूर्वक अपील प्रस्तुत करना प्रतीत होता है। विवादित भूमि का बंटवाड़ा अपीलान्ट द्वारा उपतहसीलदार भोपालगढ के समक्ष दिनांक 25.01.1981 को ही करवा लिया था जिसके अनुसरण में अपीलान्ट व अन्य का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया था जो बंटवाड़ा सही था।

अत: उपतहसीलदार भोपालगढ द्वारा बंटवाड़े के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 407 सही भरा जाने के कारण अपीलान्ट की अपील को खारिज करने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने व गहनता से अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रेस्पोडेन्ट के पिता श्रीराम को बारानी तृतीय किस्म की अधिक भूमि व अपीलान्ट के पिता करनाराम को बारानी प्रथम की अच्छी किस्म की कम भूमि मिली जिससे प्रतीत होता है कि उनके द्वारा भूमि का बंटवाड़ा भूमि की किस्म के आधार पर सही किया गया होगा। अपीलान्ट का यह कहना कि उसे उक्त नामान्तरकरण की जानकारी पिता के देहान्त के बाद भी नहीं हुई, गलत है जबकि श्री करनाराम का स्वर्गवास होने के पश्चात् जरिये नामान्तरकरण संख्या 1144 विरासत दिनांक 20.08.2006 को अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद होने के बाद वर्ष 2008 में अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि को रहन रखकर अपने नाम से बैंक से ऋण प्राप्त किया तथा उक्त ऋण की अदायगी करने पर पुन: राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण अंकित किया गया। अपीलान्ट की बहनों द्वारा उक्त भूमि के बाबत एक हकतर्कनामा अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित किया गया, जिसका नामान्तरकरण संख्या 1298 दिनांक 04.01.2008 को भरा गया। इससे साफ जाहिर होता है कि अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी पूर्व से ही थी। इसके अलावा बंटवाड़ा बहुत पुराना है यानि अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होने के बावजूद वर्ष 1981 में बंटवाड़ा होने के लगभग 36 वर्ष पश्चात् उक्त अपील की गई है जो काफी लम्बी अवधि है। अत: अपील अपीलान्ट म्याद के बिन्दू के आधार पर खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति मय अभिलेख तहसीलदार भोपालगढ को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर